

न्यायालय अपर समाहर्ता, गढ़वा
भूमि विक्री अनुमति वाद सं०-47/2023
सी० एन०टी० एक्ट की धारा 46(1)(A) के अंतर्गत
श्री जेतु कच्छप एवं अन्य—विक्रेता
प्रति
श्री आनन्दीप कच्छप—क्रेता

—:आदेश:—

अभिलेख उपस्थापित। आवेदक/विक्रेता 1. श्री जेतु कच्छप, 2. श्री मितु कच्छप, दोनों के पिता—स्व० मासी प्रकाश कच्छप, 3. श्री अभिराम कच्छप, 4. श्री तानीस कच्छप, 5. श्री एडवर कच्छप, तीनों के पिता—स्व० परमेश्वर कच्छप, सभी निवासी ग्राम—कला खजुरी, पोस्ट—परसवार, थाना—भण्डरिया, जिला—गढ़वा ने नीचे दर्ज निम्नांकित भूमि को क्रेता श्री आनन्दीप कच्छप, पिता—श्री सुलेमान कच्छप, ग्राम—टेहरी, पोस्ट—परसवार, थाना—भण्डरिया, जिला—गढ़वा को छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम की धारा 46(1)(A) के अंतर्गत भूमि विक्री करने हेतु आवेदन पत्र दिया है। उक्त आवेदन पत्र पर अंचल अधिकारी, भण्डरिया से आवेदन पत्र में वर्णित भूमि पर जाँच कर विहित प्रपत्र में स्पष्ट अनुशंसा के साथ एवं आम इस्तेहार का विधिवत तामिला कराकर प्रतिवेदन की मांग की गई। अंचल अधिकारी, भण्डरिया के पत्रांक 295/दिनांक 13.06.2023 के द्वारा जाँच प्रतिवेदन एवं आम इस्तेहार का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त हुआ एवं विक्रेता के द्वारा प्रतिवेदित भूमि के संबंध में आवश्यक कागजात प्रस्तुत किया गया।


प्राप्त जाँच प्रतिवेदन एवं विक्रेतागण के द्वारा प्रस्तुत कागजातों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि प्रस्तावित भूमि विक्रेतागण के दादा एवं अन्य के नाम से मांग चलता है। विक्रेतागण जाति के उरांव (अनुसूचित जन जाति) एवं क्रेता जाति के उरांव (अनुसूचित जन जाति) के सदस्य है, विक्रेता एवं क्रेता दोनों एक ही थाना के निवासी हैं। विक्रेता प्रस्तावित भूमि विक्री करने के पश्चात् भूमिहीन नहीं होते हैं। प्रस्तावित भूमि आवेदक/विक्रेता के शांतिपूर्ण दखल-कब्जे में हैं। यह भूमि भूदान, भू-हदबंदी, वन सीमा इत्यादि से मुक्त है।


अतः अंचल अधिकारी, भण्डरिया के जाँच प्रतिवेदन/अनुशंसा के आलोक में आवेदक/विक्रेता 1. श्री जेतु कच्छप, 2. श्री मितु कच्छप, दोनों के पिता—स्व० मासी प्रकाश कच्छप, 3. श्री अभिराम कच्छप, 4. श्री तानीस कच्छप, 5. श्री एडवर कच्छप, तीनों के पिता—स्व० परमेश्वर कच्छप, सभी निवासी ग्राम—कला खजुरी, पोस्ट—परसवार, थाना—भण्डरिया, जिला—गढ़वा ने क्रेता श्री आनन्दीप कच्छप, पिता—श्री सुलेमान कच्छप, ग्राम—टेहरी, पोस्ट—परसवार, थाना—भण्डरिया, जिला—गढ़वा को नीचे दर्ज निम्नांकित भूमि की विक्री करने हेतु छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम की धारा 46(1)(A) के अन्तर्गत विक्री हेतु हस्तान्तरण करने की स्वीकृति दी जाती है।

भूमि का विवरण:—

| ग्राम | थाना सं० | खाता सं० | प्लॉट सं० | रकबा (एकड़ में) | चौहदी |
|------------|----------|---------------------|-----------------------|-----------------|--|
| टेहरी | 206 | पुराना-73 नया-73 | पुराना-506 नया-237 | 0.06 | उ०-जगदीश सिंह, द०-रास्ता, पू०-युरुश कच्छप, प०-विलियम मिंज, |
| | | पुराना-73 नया-73 | पुराना-513 नया-268 | 0.38 | उ०-विलियम मिंज, द०-अजय कच्छप, पू०-चिरुश कच्छप, प०-वली साव, |
| | | पुराना-73 नया-73 | पुराना-470 नया-289 | 0.46 | उ०-लोहार साव, द०-सुशिल केरकेटा, पू०-मंगरा यादव, प०-युरुश कच्छप, |
| कुल रकबा:— | | | | 0.90 | |

आदेश की प्रति आवश्यक कार्रवाई हेतु जिला अवर निबंधक, गढ़वा को भेजे।
लेखापित एवं संशोधित।


अपर समाहर्ता,
गढ़वा


अपर समाहर्ता,
गढ़वा